न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

प्र0न0 – 13/2020(2020/00196)

दीवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. कौशल्या पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. भालसिंह पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. मोहनलाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. लिलाधर पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. परमेश्वरी देवी पत्नी धन्नीराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. चन्दोदेवी पुत्री धन्नीराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. रामसिंह पुत्र धन्नीराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
8. शारदा पुत्री धन्नीराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
9. ज्योती पुत्री धन्नीराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री हनुमान सहारण प्रार्थीगण
श्री जाकिर हुसैन अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक : 17/02/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा करनपुरा के चक 9 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 7/5 के मु0न0 54 के किला न0 4 ता 9 की 6 बीघा, 10 ता 15 की 6 बिघा कुल 12 बिघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज है।

चक 9 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला न0 5 प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मुरब्बा न. 51 के किला न0 6 प्रतिवादी मोहनलाल के नाम, किला न0 15 प्रतिवादी लीला[धर के नाम], किला न0 16 प्रतिवादी भालसिंह के नाम, किला न0 25 प्रतिवादी [बनवारीलाल के नाम राजस्व रि]कॉर्ड में खातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:22:56 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये अन्य कोई नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता नही है। वादीगण उपरोक्त किलों के रास्ता में से होकर अपनी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कृषि भूमि में आवागमन करते है। वादीगण को मु0 न0 51 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किला में पूर्वी तरफ एक–एक बिस्वा रास्ता उत्तर से दक्षिण दर्ज किया जावें आदि–आदि तथ्यों का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट जाकिर हुसैन ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 1, 3, 7 व 9 की ओर से इकबालदावा पेश किया जो तसदीक कर शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहते अंकित किया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये जिसमें प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आंशिक नजरी नक्शा चक 9 एमएसआर प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 9 एमएसआर खाता संख्या 9/6 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा की भावना से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है, जो सदामत से चला आ रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि रास्ता के रूप में उपयोग ली जा रही भूमि संयुक्त रूप से है तथा अनुतोष अनुसार रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया कि नजरी नक्शा चक 9 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 47 के किला न0 21 ता 24 में स्वीकृत शुदा रास्ता दर्शाया गया है उससे आगे मु0 न0 51 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है में से होकर मु0 न0 54 के किला न0 5 जो प्रार्थी की कृषि भूमि है में प्रवेश करते है। चूंकि प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 9 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्वी तरफ पत्थर लाईन के पास उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में से 0.013 हैक्टेयर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि की एल...सी की दोगुनी दर पर नियमानुसार राशि दी जावें। तहसील... जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:22:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़